कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास)–बलरामपुर।

पत्रांक / /जि0का0अधि0/आ0वा0स्था0/नियुक्ति /2026.27 दिनॉक 07 मई 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना उतरौला (नगर पालिका परिषद उतरौला) में ऑगनवाडी कार्यकत्रिया एव सहायिकाओ के रिक्त पदो को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ऑगनवाडी कार्यकत्री एंव सहायिका की मानदेय पर नियुक्ति एंव चयन प्रकिया सम्बन्धित पुनः नवीनतम शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनॉक 17 सितम्बर 2025 में निहित प्रावधानो के अनुसार अर्ह/पात्र महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट upanganwadibhrati.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। बाल विकास परियोजना उतरौला के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में ऑगनवाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है।:–

परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या				
	अनारक्षित	अ0पि0व0	अनु0जा0	अनु0जनजाति	योग
उतरौला	20	11	09	0	40

विज्ञापित पद आंगनबाड़ी कार्यकत्री हेतु है। ऑगनवाडी केन्द्रवार आरक्षण सहित रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय एंव विभागीय वेबसाइटः–upanganwadibhrati.in पर देखा जा सकता है। रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28.05.2026 है।

<u>शैक्षिक योग्यताः</u>–न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष होगी (अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।)

आयु सीमाः–

1. निर्धारित कट ऑफ डेट दिनॉक 01.01.2026 को आवेदिका कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
2. आयु के सम्बन्ध में आवेदिका के शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल अंकपत्र एंव प्रमाण–पत्र) में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

चयन हेतु पात्रता/अर्हताः–

(क) सीधी भर्ती हेतु ऑगनवाडी कार्यकत्री के पद पर चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी। :–

1. सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
2. विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्रम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

(ख) उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थिनी न मिलने पर उपरोक्त कम में ही :–

1. सर्वप्रथम उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
2. विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासनी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
3. गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारकी विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

आरक्षणः–

ऑगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन–पत्र प्राप्ति प्रक्रियाः–

1. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट **upanganwadibharti**.पद पर उपलब्ध फॉर्मेट में केवल ऑनलाइन मान्य होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रत्ति, जो कि स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी जिनका उल्लेख ऑनलाइन फार्म में किया गया हो। कोई भी आवेदन या अभिलेख/ प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।
2. यदि अभ्यर्थिनी द्वारा आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

अन्य निर्देशः–

1. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी /सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल तथा तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
2. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज०–9 दिनांक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्मय हो। यदि भविष्य में राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2. उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथासंशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
3. निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
4. एक ऑंगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जाये

(इफ्तखार अहमद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।

पृष्ठांकन सं०– C-657 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन०आई०सी०) बलरामपुर।,
5. उपजिलाधिकारी, उतरौला।
6. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर।
7. खण्ड विकास अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी, उतरौला बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी उतरौला, को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों का विस्तृत विवरण तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय में चस्पा कराते हुए प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि अगले अंक में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल 02 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बलरामपुर।